EAST CENTRAL RAILWAY | पूर्व मध्य रेल | EAST CENTRAL RAILWAY

RBE No.07/2017

CPO's SL. No. 08/2017

No. E/282(A)/O/ECR/HJP **Dated:-21.02.2017**

1.CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2.सभीPHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपूर।
3.DRM/पूमरे/मुगलसराय,दानापूर,धनबाद,सोनपूर एवं समस्तीपूर।
4.मुख्य कार्मिक अधिकारी/पू.म.रे/हाजीपूर।
5.मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पू.म.रे.हाजीपूर।
6.मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7.CWM/पीडी/मुगलसराय,यांत्रिक कारखाना समस्तीपूर/हरनौत।
8.Sr.DPO/पूमरे/ मुगलसराय,दानापूर,धनबाद,सोनपूर एवं समस्तीपूर।
9.उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10.प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपूर एवं भूली।
11.सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पू.म.रे/हाजीपूर।

विषयः-वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)/माओवादी आक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों के लिए रेलवे प्रशिक्षण केंद्रो में 'प्रशिक्षण मॉड्यूल में 'रेलवे सुरक्षा पर प्रशिक्षण स्लॉट शामिल करना।

संदर्भः–Rly. Board's Lt. no.**E(MPP)2016/3/14** Dated.**31.01.2017**

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है ।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(रवि कुमार मिश्रित)
सकाधि/ई.एस.एम एवं रूलिंग
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपूर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित :

1.महासचिव/ईसीआरकेयू/पू.म.रे./हाजीपूर।
2.महासचित/एस0.सी0./एस0.टी0./एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपूर।
3.सकाधि (एम.पी.पी.),पू.म.रे/हाजीपूर। कृप्या इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
4.महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपूर।

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

RBE No. 07/2017

No. E(MPP)2016/3/14

New Delhi, Dated 31.01.2017

The General Managers,
Eastern Railway,
[redacted]
East Coast Railway,
North Eastern Railway,
South Eastern Railway &
Southeast Central Railway.

Sub:- Inclusion of training slot on 'Railway Security' in Training Modules at Railway Training Centres for the areas affected by Left Wing Extremism (LWE)/ Maoist attacks.

A need has been felt to sensitize Railway Employees on Left Wing Extremism (LWE)/ Maoist attacks. Accordingly, a Three Day Training Capsule on "Railway Security" has been prepared so that the necessary training may be arranged at Railway Training Centres. Details of the Training Modules is enclosed at Annexure –A. This Training Module may be imparted as a part of Initial Training and Refresher Training.

Such training is required to be imparted especially to the Station Staff, Signal Men, Loco Pilots, Assistant Loco Pilots, Guards, Trackman etc. Chief Security Commissioners of the concerned Zonal Railways may arrange to provide Railway Protection Force and Police Officials on suitable honorarium basis.

D.A: As above

(Anuradha Singh)
Director/ MPP
Railway Board.

Annexture-"A"

PROPOSED TOPICS TO BE TAUGHT IN REVISED CAPSULE COURSE

DAY-1.

1st. Half

History of LWE movement

1. Ideology
2. Action
3. Deviation from the ideology
4. Recruitment of youngsters
5. Ways adopted by LWE to attack unemployed youth
6. Training of Armed wing
7. Nexus with sympathizers
8. Nexus with other Anti National Organisation

2nd. Half

Modus operandi of LWE wing

1. Very big group
2. Raccee is done months together before any action
3. Look like common villagers
4. Surprise element of attack
5. Large and unusual gathering at station and in trains
6. Weapon covered under wearing apparels/shawls
7. Sudden and deadly attack to create panic
8. They usually abduct passengers/Railway employee/Security personal to demoralise the Govt.

DAY-2.

1st. Half

(A) Information about stronghold area of LWE and their targets-

1. LWE/Maoist Prone area
2. Sensitive Station in view of terrorist/LWE attack.
3. Sensitive Railway installations viz. Railway Bridges, Feeding Posts, Water Treatment Plant, Power House, Fuelling Points etc.

(B) Movement area of maoist/LWE

1. Pattern of movement of maoist/LWE
2. Escape routes
3. Hideouts of LWE
4. Local informer/sympathizer
5. Pattern of their attack.

2nd. Half

(C) Sensitization of staff.

1. Every input like Bandh, strike, observation of martyrs week by Maoist.
2. Threat from terrorist/LWE groups.

(D) Action to be taken

1. Convey of any information immediately to the appropriate authority.
2. Keep watch over the activities of suspected persons and its follow up action.
3. Knowledge of booby traps/suspected articles and convey of information thereafter.

DAY-3

1st. Half

(E) Action after detection of any suspected articles/persons.

1. How to convey of any information secretly and intelligently to avert own harm and harm to railway property.
2. Information and action on the part of railway man be treated as a part of their duty.

(F) Vigorous & rigorous checking in trains and railway premises.

2nd. Half

(G) Closure of unnecessary access to stations/platforms in consultation with concerned sister department

(H)

1. Development of sources from villagers.
2. Regular interaction with passengers to augment awareness amongst them.
3. Sharing of intelligence inputs with other Intelligence agencies.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड).

*****

आर.बी.ई. सं. 07 /2017

सं. ई(एमपीपी)2016/3/14

नई दिल्ली, दिनांक: 31 .01.2017

महाप्रबंधक,
पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे,
पूर्व तट रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे,
दक्षिण पूर्व रेलवे, एवं
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

विषय: वामपंथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई)/माओवादी आक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों के लिए रेलवे प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण माड्यूल में 'रेलवे सुरक्षा' पर प्रशिक्षण स्लॉट शामिल करना.

वामपंथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई)/माओवादी आक्रमणों पर रेलवे कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है. तदनुसार, "रेलवे सुरक्षा" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कैप्सूल तैयार किया गया है ताकि रेलवे प्रशिक्षण केंद्रों पर आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके. प्रशिक्षण माड्यूल के ब्यौरे अनुबंध-क पर संलग्न हैं. यह प्रशिक्षण माड्यूल प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण के भाग के रूप में दिया जाएगा.

ऐसा प्रशिक्षण विशेष रूप से स्टेशन कर्मचारियों, सिगनलमैन, लोको पायलटों, सहायक लोको पायलटों, गार्डों, ट्रैकमैन आदि को दिया जाना अपेक्षित है. संबंधित क्षेत्रीय रेलों के मुख्य सुरक्षा आयुक्त मानदेय के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल एवं पुलिस कर्मियों को मुहैया कराने की व्यवस्था करें.

संलग्नक :यथोक्त

अनुराधा
(अनुराधा सिंह)
निदेशक(एम पी पी)
रेलवे बोर्ड

5

अनुबंध-''क''

संशोधित कैप्सूल पाठ्यक्रम में पढ़ाये जाने वाले प्रस्तावित विषय

दिन-1

पूर्वाह्न

वामपंथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) गतिविधि का इतिहास

1. सिद्धांत
2. कार्रवाई
3. सिद्धांत से विचलन.
4. नवयुवकों की भर्ती.
5. बेरोजगार युवकों पर आक्रमण करने के लिए एलडब्ल्यूई द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके.
6. सशस्त्र विंग को प्रशिक्षण.
7. समर्थकों के साथ संबंध.
8. अन्य राष्ट्र विरोधी संगठनों के साथ संबंध.

अपराह्न

वामपंथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) विंग की कार्यप्रणाली

1. बहुत बड़ा समूह.
2. किसी कार्रवाई से पहले कई महीने रेकी किया जाता है.
3. आम ग्रामिणों की तरह दिखते हैं.
4. आक्रमण के औचक तत्व.
5. स्टेशनों पर और गाडियों में भारी एवं असामान्य भीड़.
6. पहने हुए कपड़ों/शालों में छिपाकर रखे हुए हथियार.

7. भगदड़ मचाने के लिए अचानक एवं घातक आक्रमण.

8. वे सामान्यतः सरकार को बदनाम करने के लिए यात्रियों/रेलवे कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों का अपहरण कर लेते हैं.

दिन-2.

पूर्वाह्न

(क) वामपंथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) के गढ़ तथा उनके लक्ष्यों के बारे में सूचना

1. वाम्पंथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) /माओवादी प्रवृत्त क्षेत्र
2. आतंकवादी/ वामपंथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) आक्रमण के दृष्टि से संवेदनशील स्टेशन
3. संवेदनशील रेलवे संस्थापनाएं यथा रेलवे पुल, फीडिंग पोस्ट, जल शोधन संयंत्र, पावर हाउस, ईंधन प्वांइट आदि.

(ख) माओवादी/वामपंथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) के गतिविधि क्षेत्र

1. माओवादी/वामपंथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) के गतिविधि के पैटर्न
2. भाग जाने का मार्ग
3. वामपंथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) के छिपने के स्थान
4. स्थानीय मुखबिर/समर्थक
5. उनके आक्रमण करने के पैटर्न

अपराह्न

(ग) कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना.

1. बंद, हड़ताल, माओवादी द्वारा शहीद सप्ताह मनाने जैसे प्रत्येक इनपुट.
2. आतंकवादी/ वामपथ उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) समूहों से डर.

(घ) की जाने वाली कार्रवाई

1. उपयुक्त प्राधिकारी को शीघ्र ही कोई सूचना देना.
2. संदिग्ध व्यक्तियों के क्रियाकलापों पर नजर रखना तथा इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना.
3. बूबी ट्रेप/संदिग्ध वस्तुओं की जानकारी रखना तथा उसके बारे में सूचना देना.

दिन-3.

पूर्वाह्न

(ङ) संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों का पता चलने के बाद कार्रवाई करना.

1. स्वयं के एवं रेलवे संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए कोई सूचना गुप्त तथा बुद्धिमता पूर्वक कैसे दी जाए.
2. रेलवे मैन की ओर से सूचना एवं कार्रवाई को उसकी ड्यूटी के रूप में माना जाएगा.

(च) गाडियों एवं रेल परिसरों में कठोर एवं सख्त जांच करना.

अपराह्न

(छ) संबंधित सहयोगी विभागों के परामर्श से स्टेशनों/प्लेटफार्मों में अनावश्यक प्रवेश को बंद करना.

(ज)

1. ग्रामीणों से स्त्रोतों का विकास.
2. यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके साथ नियमित समन्वय.
3. अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना इनपुट सांझा करना.